न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 425/2022

आरसीएमएस नं. 2022/425

1. गुरप्रीत सिह पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एमओडी तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मेजर सिह पुत्र श्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी चक 10 एमओडी तहसील व जिला हनुमागनढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बलदेव सिह पुत्र बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सोहन सिंह पुत्र श्री बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. अंग्रेज सिंह पुत्र श्री जग्गा सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. अंग्रेज सिह पुत्र श्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. इकबाल सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. कौर सिंह पुत्र श्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. गुरतेज सिह पुत्र श्री तारा सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

8. जगजीत सिंह पुत्र श्री इकबाल सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. तरसेम सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. दर्शन सिह पुत्र श्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. नन्दराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. परमजीत कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. मन्द्र सिह पुत्र श्री तारा सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. मलकीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ। हाल अयालकी तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ।
15. रेशम सिह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. रायसिंह पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. सुखदेव सिंह पुत्र श्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
18. सतपाल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी 10 एम.ओ.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. सुबा सिह पुत्र श्री जग्गा सिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
20. साजनराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

21. हरदीप सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश दिनांक 09.12.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
प्र. सं.101/2022 अनवान बलदेव सिंह आदि बनाम अंग्रेज सिंह आदि

उपस्थितिः–

श्री गुरमेल सिंह ढिल्लो, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शिवराज सिंह खोसा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 4, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 18
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 22

निर्णय दिनांक 20.3.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 10 एम.ओ.डी के पत्थर नंबर 54/269 (14) के किला नं. 21, पत्थर नंबर 53/269 (13) के किला नं. 23 ता 25 व पत्थर नंबर 53/270 (23) किला नं. 3 व 8 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रर्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि खाता संख्या 88/9 की कुल 25.300 है0 भूमि संयुक्त है, जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है व ना ही बाये मीट्स एण्ड बॉण्ड सह खातेदारान के मध्य विभाजन हुआ है, ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के संयुक्त खाता का होने एवं प्रत्येक सह काश्तकार/सहखातेदार का अविभाजित कृषि भूमि में प्रत्येक भाग पर संयुक्त धारण एवं आधिपत्य होने की अवधारणा अखिण्डत रहते हुए रास्ते की मांग करने हेतु राईट–टू–सू ही प्राप्त नहीं होता है। इस बिन्दू को अधीनस्थ न्यायलाय ने नजर अन्दाज किया है। रेस्पोडेण्ट के पास प. नं. 53/271 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में अर्सा कदीम से चल रहे रास्ता से अपने खेत तक आवागमन करते आ रहे है जो कि स्वीकृतशुदा रास्ता प. नं. 53/272 के किला नं. 1 ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ता से मिलता है। यह रास्ता पत्थर नंबर 53/270 के किला नं. 24 व 25 के उतरी भाग (1/2) हिस्सा जो कि प्रार्थीगण काश्त करते हैं तक सम्पर्क करता हुआ है, इन किलों का शेष भाग सुखदेव सिंह अप्रार्थी संख्या 17 के कब्जा काश्त का है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के साथ पारिवारिक रंजिश रखते हुए उनकी भूमि के मध्य बिना किसी कारण औचित्य व आवश्यकता के रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की है ताकि अप्रार्भिगण की भूमि को दो भागों में विभाजित कर क्षति पहुंचाई जा सके। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त की असत्य व मनघडंत बातें की हैं कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। कथित रास्ता की मांग की गई है वह प्रार्थीगण के नाम विशिष्ट तौर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज ही नहीं है। प्रार्थीगण खाता विभाजन करवाये बिना अपनी कथित कब्जा काश्त की भूमि में के लिए पृथक से रास्ता स्वीकृति की मांग कर सकते हैं। प्रार्थी के पास आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता मोजूद है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा तसहीदलार राजस्व जो कि भू–धारक है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु उपलब्ध रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उसकी भूमि में आवागनम हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते आवश्यकता था। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों का विवेचन एवं गौर कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 10 एम.ओ.डी के पत्थर नंबर 54/269 (14) के किला नं. 21, पत्थर नंबर 53/269 (13) के किला नं. 23 ता 25 व पत्थर नंबर 53/270 (23) किला नं. 3 व 8 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालाय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अन्तर्गत रास्ते की आवश्यकता और यह यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है तथा द्वितीय अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 व 06.09.2021 प्रार्थीगण को रासते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा द्वितीय बिन्दू के अनुसरण में मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण को अपने खतोदारी जोत में आवगामन हेतु उपलब्ध रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होन के तथ्य पत्रावली पर प्रकट हुए हैं तथा यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष आया है कि प्रार्थीगण को आवागमन हेतु अप्रार्थिगण की आराजी में से रास्ता तो उपलब्ध है परन्तु प्रार्थीगण को उपलब्ध रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)